यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**यह कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** के माह 08/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री वीपीएस नेगी, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.02.2021 से 23.02.2021 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सुनील जोशी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.08.2019 से 19.08.2019 तक श्री आई.के.जुयाल, व.लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2018 से 07/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान मे माह 08/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी।

   2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इकाई द्वारा मुख्यत: छात्रवृत्ति, पेंशन, अनुसूचित जाति-जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों मे अवस्थापना सुविधा/शादी अनुदान/राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना/अटल आवास इत्यादि योजनाओ से अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्ग के पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार है।

   **(ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः**

**(₹`लाख में)**

| वर्ष | योजना का नाम/लेखाशीर्ष)<br>(समाज कल्याण विभाग ) | आवंटन | व्यय | समर्पण/बचत |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 2071,2515,2225,2235,4225 | 18892.01 | 17860.28 | 1031.73 |
| 2018-19 | 2071,2515,2225,2235,4225 | 18695.12 | 18695.12 | - |
| 2019-20 | 2071,2515,2225,2235,4225,8000 | 17207.54 | 14844.24 | 2363.30 |
| 2020-21 (01/2021) | 2071,2515,2225,2235,4225 | 13987.25 | 11456.50 | 2530.75 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम/लेखाशीर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | आवंटन | योग | व्यय | अंतिम अवशेष (बैंक में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | - | - | - | - | - | - |
| 2019-20 | - | - | - | - | - | - |
| 2020-21 (1/21) | - | - | - | - | - | - |

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'B' श्रेणी की है।

**3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-**

1. सचिव, समाज कल्याण
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. अपर निदेशक
5. सयुक्त निदेशक
6. उप निदेशक
7. सहायक निदेशक
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी
9. अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी
10. सहायक समाज कल्याण अधिकारी
11. मिनिस्टीरियल संवर्ग
12. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** के 08/2019 से 01/2021 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 03/20 & 04/20 (Treasury head-BM 5) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

**(ii)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-दो-ब**

**प्रस्तर:01- अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी धनराशि ` 73.71 लाख के 07 कार्यों को अपूर्ण रखा जाना।**

अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति के है, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना/निर्माण कार्य संचालित की जाती है। स्वीकृत परियोजना की धनराशि कार्यदायी संस्था को 50-50 प्रतिशत की दो समान किस्तों मे अवमुक्त की जाएगी। दूसरी किस्त का भुगतान प्रथम किस्त की धनराशि 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर एवं योजना की प्राप्त धनराशि के व्यय प्रपत्र कार्यालय को प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। कार्यालय द्वारा उतनी ही धनराशि आहरित की जाएगी जितनी कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की जानी है। किसी भी दशा मे धनराशि आहरित कर बैंक मे नहीं रखी जाएगी। कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाते समय उक्त कार्य को पूर्ण किए जाने की समय-सीमा भी कार्य की प्रकृति को देखते हुए चयन समिति द्वारा निश्चित की जाएगी। योजना के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मासिक अनुश्रवण किया जाएगा तथा मासिक प्रगति विवरण निदेशालय/शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। अवस्थापना मद के अंतर्गत सृजित समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम हेतु गठित टास्कफोर्स के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिलाधिकारी पृथक से जनपद स्तर पर अधिकारियों की विशेष सत्यापन टीम के माध्यम से पिछले वर्ष कराये गए कार्यों का कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय सत्यापन भी करवायेंगे।

लेखापरीक्षा द्वारा अवस्थापना निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों/प्रगति रिपोर्ट की नमूना जांच मे पाया गया कि:

1) अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनांतरगत वित्तीय वर्ष 2018-19 मे स्वीकृत कार्य मे से निम्न दो कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण पाये गए:

| योजना का नाम | स्वीकृत धनराशि | निर्माण एजेंसी को प्रदत्त धनराशि | कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण | जनपद कार्यालय मे शेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| वार्ड न. 1 कड़च्छ डेरा मंदिर के समीप सामुदायिक केंद्र का निर्माण, हरिद्वार | 19.15 लाख | 9.57 लाख | 50 प्रतिशत/अपूर्ण | 9.58 लाख |
| ग्राम सढोली से सढ़ोला तक सड़क का पुनः निर्माण कार्य,झबरेड़ा, रुड़की | 30.00 लाख | 15.00 लाख | 50 प्रतिशत/अपूर्ण | 15.00 लाख |

2) इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनांतरगत वित्तीय वर्ष 2019-20 मे स्वीकृत कार्य मे से निम्न पाँच कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण पाये गए:

| योजना का नाम | स्वीकृत धनराशि | निर्माण एजेंसी को प्रदत्त धनराशि | कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण | जनपद कार्यालय मे शेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| वार्ड न. 17 मे नरेश के मकान से सरदार के मकान तक लगभग 150 मी. नाले के निर्माण कार्य, हरिद्वार नगर | 7.25 लाख | 3.62 लाख | 50 प्रतिशत/अपूर्ण | 3.63 लाख |
| वार्ड न. 35 कड़च्छ मे विक्रम सुनार वाली गली मे सीसी मार्ग का निर्माण, हरिद्वार नगर | 2.07 लाख | 1.03 लाख | 50 प्रतिशत/अपूर्ण | 1.04 लाख |
| वार्ड न. 35 कड़च्छ मे अरविंद कुमार के घर से किशोर के घर तक सीसी मार्ग का निर्माण, हरिद्वार नगर | 3.01 लाख | 1.50 लाख | 50 प्रतिशत/अपूर्ण | 1.51 लाख |
| ग्राम अन्नेकी मे भैल्लु के मकान से इंद्र के मकान की ओर टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य, रानीपुर भेल | 3.38 लाख | 1.69 लाख | 50 प्रतिशत/अपूर्ण | 1.69 लाख |
| ग्राम रावली महदूद में हरीश के मकान से सुखवीर के मकान तक टाइल्स द्वारा सड़क, रानीपुर भेल | 8.85 लाख | 4.17 लाख | 50 प्रतिशत/अपूर्ण | 4.18लाख |

3. अभिलेखों की जांच मे उक्त कार्यों का समझौता ज्ञापन निर्माण इकाई एवं ग्राहक विभाग के मध्य संपादित किया जाना नहीं पाया गया।

4. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि के उपयोग से संबन्धित व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) लेखापरीक्षा तिथि तक इकाई को प्रस्तुत नहीं किए गया था।

5. इकाई द्वारा निर्माण इकाई को स्वीकृत धनराशि की दूसरी किस्त निर्गत नहीं किया गया था।

6. उक्त निर्माण कार्यों की द्वितीय किस्त की धनराशि `36.63 लाख कार्यालय स्तर पर बैंक खाते मे अवशेष पड़ी हुयी है।

7. लेखापरीक्षा मे उक्त कार्यों की निरीक्षण रिपोर्ट/भौतिक सत्यापन के अभिलेख नहीं पाये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त बिन्दुओ को इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि:

बिन्दु संख्या 01 & 02: कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और न ही द्वितीय किस्त की मांग की गई है जिसके कारण कार्य अपूर्ण है। कार्य गतिमान है कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए पत्राचार किया गया है एवं किया जाएगा।

बिन्दु संख्या 03: सरकारी एजेंसी एवं छोटे छोटे कार्य होने के कारण MoU नहीं कराया गया।

बिन्दु संख्या 04, 05 & 06: कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त की UC प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण द्वीतीय किस्त की धनराशि निर्गत नहीं किए गए जिसके कारण धनराशि बैंक खाते मे अवशेष पड़े हुए है। निर्माण कार्य गतिमान है एवं द्वीतीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की जानी है।

बिन्दु संख्या 07: निरीक्षण रिपोर्ट/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कार्य पूर्ण के पश्चात उपलब्ध होगे।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य स्वीकृत वित्तीय वर्ष मे पूर्ण किया जाना अनिवार्य था। अतः लेखापरीक्षा द्वारा उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य के प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

**<u>भाग-02 ब</u>**

**<u>प्रस्तर:02-</u> इकाई द्वारा ₹ 16.82 करोड़ की विभिन्न मदों की धनराशि को उत्तराखंड शासन से बिना अनुमति प्राप्त किये पी0एल0ए0 खाते में न रख कर धनराशि को बैंक के चालू खाते में रखा जाना।**

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:- वित्त अनुभाग -03/876/2003-04 दिनाक-30/04/2003 तथा पत्र संख्या-99/XXVII/ 14/2009 दिनाक -03/09/2009 मे स्पष्ट किया गया है कि सरकारी विभागो के कार्यो हेतु बैंक मे खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है ,जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य /अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गयी हो । अत: यदि कोई अनधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद किया जाये एवं खाते मे अवशेष धनराशि को विभागीय पी0एल0ए0 खाते मे स्थानांतरित किया जाये । शासनादेश मे यह भी स्पष्ट किया गया राज्य की अर्थोपाय स्थिति मे संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि समेकित निधि से आहरण तब किया जाये जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो , के सिद्धांत पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानो आदि के अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के आधीन कोषागार मे पी0एल0ए0 यदि पूर्व मे न खुला हो खुलवाना सुनिश्चित करें । तथा समेकित निधि से आहरित कर सभी धनराशियाँ जो बैंक मे रखी गयी है उन्हे तत्काल विभागीय पी0एल0ए0 मे जमा किया जाये ।

**ज़िला समाज कल्याण अधिकारी** हरिद्धार द्वारा **सम्प्रेक्षा को** निम्न योजनाओ की धनराशियों के उपलब्ध कराये गए अभिलेखो की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि उनके द्वारा शासन से प्राप्त केंद्रान्श एवं राज्यान्श मद के रूप मे विभिन्न पेन्शन मद की धनराशियों को रखने हेतु बैंक मे चालू खाता खुलवा कर उक्त धनराशियों का रख रखाव किया जा रहा है । आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई को विभिन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष -2019-20 मे केंद्र /राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या-15 ,30 एवं 31 मे जारी धनराशियों के सापेक्ष उक्त पेंशन योजनाओ से संबन्धित लाभार्थीयो की केंद्र/राज्य से प्राप्त धनराशियों एवं निदेशक समाज कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी के आवंटन पत्र संख्या 3045/स0क0/लेखा/बजट-आवंटन(22)/2019-20 दिनाक-05/12/2019 , एवं आवंटन पत्र संख्या -4917/स0क0/लेखा/बजट-आवंटन(22)/2019-20 दिनाक -17/03/20 के द्वारा प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना मद के अंतर्गत अनुदान संख्या -PAC लेखा शीर्षिक -8000-00-201-00-00 के connecting लेखा शीर्ष अनुदान संख्या -30 के लेखा शीर्ष -2225-01-102-01-01 प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना मानक मद 20-सहायक अनुदान /अंशदान /राज सहायता के अधीन क्रमश: ₹ 3.00 लाख एवं ₹ 10000000.00 करोड़ की धनराशि एवं मानक मद अन्य व्यय संख्या -42 से संबन्धित ₹ 6.00 लाख की धनराशि क्रमश:बिल न0-399 ,398 एवं 402 द्वारा वर्ष-2019-20 मे प्राप्त की गयी धनराशि के रखरखाव हेतु के शासनादेश संख्या:- वित्त अनुभाग -3 /2003-04 दिनाक-30/04/2003 तथा पत्र संख्या -99/XXVII/14/2009 दिनाक -03/09/2009 के अनुपालन मे शासन से PLA खाते खुलवाने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किया तथा इकाई द्वारा उक्त धनराशियों को चालू खाते मे रखने के कारण कोई ब्याज भी अर्जित नहीं किया जा रहा था। उक्त चालू खातो मे अवरुद्ध पेंशन की धनराशियों का सम्प्रेक्षा तिथि -02/21 तक विवरण निम्नवत है :-

| क्रम संख्या | योजना का नाम/मद | खाता संख्या | बैंक शाखा का नाम | प्रारम्भिक अवशेष(01/04/2019(₹) | अवशेष धनराशि(31/01/2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना | 1333002100004489 | पंजाब नेशनल बैंक,रोश नाबाद | 918390.05 | 78470.85 |
| 02 | राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना | 1333002100004054 | पंजाब नेशनल बैंक,रोश नाबाद | 21159.20 | 20805.20 |
| 03 | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | 1333002100004054 | पंजाब नेशनल बैंक,रोश नाबाद | 1785935.70 | 11088357.70 |
| 04 | छात्रवृति/शादी अनुदान/अटल आवास पेंशन/बौना पेंशन इत्यादि | 1333002100003240 | पंजाब नेशनल बैंक,रोश नाबाद | 88054175.47 | 106523830.00 |
| 05 | वृद्धावस्था पेंशन/यू0डी0आई0डी0 | 1336102000000994 | आई0डी0बी0आइ0 रावली महदूद | 200.00 | 21481627.00 |
| 06 | वृद्धावस्था/ छात्रवृति | 918010083600235 | ऐक्सिस बैंक शिवालिक नगर | 10203800.00 | 8519966.00 |
| 07 | राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना | 398110861-0 | एस0बी0 आई रोशनाबाद | 0.00 | 0.00 |
| 08 | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | 3981110523-3 | एस0बी0 आई रोशनाबाद | 0.00 | 0.00 |
| 09 | राष्ट्रीय | 3981110495-4 | एस0बी0 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | विकलांग पेंशन योजना | | आई रोशनाबाद | | |
| 10 | प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना | 1333002100003240 | पंजाब नेशनल बैंक,रोश नाबाद | 20600000.00 | 20548346.00 |
| | | | | योग | 16.82 करोड़ |

कार्यालय **ज़िला समाज कल्याण अधिकारी** हरिद्वार के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उत्तराखंड शासन से ₹ 16.82 करोड़ की धनराशि को बचत/चालू खाते मे रखने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। विभाग द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि- 02/21 तक पी. एल. ए. खाता नहीं खोला गया था। जो कि शासन के शासनादेश संख्या:- वित्त अनुभाग -3 /2003-04 दिनाक-30/04/2003 तथा पत्र संख्या -99/XXVII/14/2009 दिनाक -03/09/2009 का स्पष्ट उल्लंघन था।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से इंगित/पूछने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि पीएलए खाता खोलने के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार द्वारा सम्प्रेक्षा को पत्र संख्या 1978/स0क0/पेंशन/PFMS /2020-21 दिनाक -02/11/2020 जो निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी द्वारा समस्त ज़िला **समाज कल्याण अधिकारी उत्तराखंड** को लिखे पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी जो वर्तमान मे विभागीय पेंशन योजनाओ का भुगतान PFMS प्रणाली के आधार पर करने विषयक था ,जो विभाग द्वारा पी. एल. ए. खाता खोले जाने हेतु शासन/निदेशालय से अनुमति प्राप्त करने से संबन्धित नहीं था जो बिन्दु संख्या- क्रमश: 01 ,02 ,03 07 ,08 एवं ,09 (राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना , राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना , राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) की त्रुटिपूर्ण पुष्टि करता है क्योकि सम्प्रेक्षा तिथि-02/2021 तक उक्त प्रकरण मे निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं हुई थी । विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा मे इसलिए मान्य नहीं है । क्योकि इकाई द्वारा उत्तराखंड शासन से ₹ 16.82 करोड़ की धनराशि को बचत/चालू खाते मे रखने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी । विभाग द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि- 02/21 तक पी. एल. ए. खाता नहीं खोला गया था। जो कि शासन के शासनादेश संख्या:- वित्त अनुभाग -3 /2003-04 दिनाक-30/04/2003 तथा पत्र संख्या -99/XXVII/14/2009 दिनाक -03/09/2009 स्पष्ट उल्लंघन था। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

**भाग-दो-ब**

**प्रस्तर:03- धनराशि `7.78 लाख का अनियमित अधिप्राप्ति (procurement) किया जाना।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित अधिप्राप्ति नियमावली जुलाई, 2017 के मौलिक सिद्धांत बिंदु संख्या 3(1) में स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके एवं बिंदु संख्या 3(10) में स्पष्ट किया गया है कि अधिप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे- छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 7(1) के अनुसार ऐसी सामाग्री और मदों के लिए, जिन्हे सामान्य उपयोग की मदों के रूप मे चिन्हित किया गया है और जिन की सरकारी विभागों/कार्यालयों को बार-बार आवश्यकता होती है, उनके लिए प्रशानिक विभागों की पदनामित केंद्रीय क्रय समिति द्वारा दर संविदा की जा सकती है। दर संविदा की मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों मे समान दर संविदाओं मे दिये गए मूल्य से अधिक न हों।

कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के अंतर्गत संचालित अधीनस्थ इकाई (Non-DDO) राजकीय आश्रम पद्धति बालक एवं बालिका विद्यालय, लालढ़ांग, हरिद्वार के बजट व्यय विवरण संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया अधीनस्थ इकाई को वित्तीय वर्ष 2019-20 मे मद-31, सामाग्री एवं संपूर्ति मे धनराशि `778000/- का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष धनराशि `697330/- का सामाग्री संपूर्ति मद मे व्यय पाया गया एवं धनराशि `80670/- वित्तीय वर्ष के अंत मे समर्पित कर दिया गया। जांच मे पाया गया कि अधीनस्थ इकाई के द्वारा सामाग्री/संपूर्ति मद के अंतर्गत लेखापरीक्षा अवधि मे सामाग्री का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के विरुद्ध टुकड़ों मे विभक्त करके किया गया था। अधिप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए था। परंतु अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि इकाई द्वारा बार-बार सामग्रियों का क्रय टुकड़ों मे किया गया ताकि निविदा/कोटेशन आदि की प्रक्रिया एवं उच्चाधिकारी की स्वीकृति से बचा जा सके एवं एक ही तारीख को अधिप्राप्ति के बिलों को टुकड़ों मे विभक्त कर पास किया जाना पाया गया। इकाई द्वारा अधिप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक

मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास नहीं किया गया था जबकि सारे अधिप्राप्ति सामाग्री संपूर्ति मद के प्रकृति की थे।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त तथ्य को इंगित किए जाने पर उक्त अधीनस्थ इकाइयों ने उत्तर मे बताया कि अंकित आपत्तियों के क्रम मे जानकारी नहीं थी, भविष्य मे इस प्रकार की गलती नहीं होगी। नियमों का पालन किया जाएगा।

इकाई द्वारा स्वतः ही लेखापरीक्षा के द्वारा लगाए गए आपत्ति की पुष्टि किया गया है। अतः प्रकरण को प्रकाश मे लाया जाता है।

**<u>भाग-02 ब</u>**

**<u>प्रस्तर:04-</u> इकाई द्वारा सम्प्रेक्षा को रू 2.62 लाख के वाउचर की प्रस्तुति न करना।**

इकाई द्वारा सम्प्रेक्षा को ₹ 2.62 लाख के वाउचर की प्रस्तुति न करना, विभिन्न योजनाओ के लाभार्थियो के ऑनलाइन डी0बी0टी0 भुगतान के उपरान्त वाउचर की प्रविष्टि रोकड़ बही मे करना एवं विभाग स्तर पर बैंक **Reconciliation** स्टेटमेंट का रख-रखाव न पाया जाना ।प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रविधानों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म जी0ए0आर0-3 मे रोकड़ बही का रख -रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन-देनो के घटित होने पर उसमे प्रविष्ट करेगा । माह के अन्त मे रोकड़ बही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाणपत्र स्वहस्तालेख मे अंकित करेगा । इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या -3/**XXVII**(6)/2013 दिनाक-02/01/2013 के बिन्दु संख्या -4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिये गए दिशा-निर्देश के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि संबन्धित के बैंक खाते मे अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखो यथा 11-सी पंजिका, रोकड़ बही, बिल पंजिका आदि मे इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेगे ।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार के विस्तृत जांच हेतु चयनित माह - 03/2020 **&04/2020** की विस्तृत जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा शासनादेश के अनुसार विभिन्न योजनाओ के लाभार्थियो के खातो मे इन योजनाओ की धनराशि सीधे उनके खाते ने ऑनलाइन डी0बी0टी0 भुगतान के उपरान्त उनकी प्रविष्टि रोकड़ बही मे करना नहीं पाया गया एवं विभाग मे कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियो के वेतन बिलो की प्रविष्टि विभाग स्तर पर करना नहीं पाया गया। आगे संप्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा बैंक खाते एवं रोकड़ बही मे मिलान हेतु बैंक **Reconcilation** स्टेटमेंट भी विभाग स्तर पर रख-रखाव करना नहीं पाया गया ।विभाग द्वारा विस्तृत जांच हेतु चयनित माह - 03/2020 के निम्नलिखित बिल/वाउचर सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत करना नहीं पाया गया,जिनका विवरण निमन्वत है:-

| क्रमसंख्या | माह का नाम | वाउचर न0 | लेखा शीर्षिक | धनराशि (र) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03/20**20** | 06 | 222501001050001 | 59085.00 |
| 02 | **03/2020** | 75 | 222501001050016 | 54200.00 |
| 03 | **03/2020** | 77 | 2222501001050008 | 9794.00 |
| 04 | **03/2020** | 110 | 222502800210020 | 50**,000.00** |
| 05 | 03/2020 | 07 | 222501001050001 | 1229.00 |
| 06 | 03/2020 | 89 | 222501001050004 | 3476.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 03/2020 | 91 | 222501001050004 | 1130.00 |
| 08 | 03/2020 | 92 | 222501001050004 | 1534.00 |
| 09 | 03/2020 | 405 | 222502800210020 | 50**,000.00** |
| 10 | 03/2020 | 115 | 222501277160020 | 32400.00 |
| | | | योग | 262848.00 |

सम्प्रेक्षा द्वारा शासन के पत्रांक संख्या -3/**XXVII**(6)/2013 दिनाक-02/01/2013 के उल्लंघन के सम्बंध मे इंगित करने एवं पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को भविष्य मे उक्त शासनादेश के अनुपालन करने हेतु अवगत कराया गया है । सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं पाया गया क्योकि प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रविधानों के अनुसार स्पष्ट प्रविधानित किया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म जी0ए0आर0-3 मे रोकड़ बही का रख -रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन-देनो के घटित होने पर उसमे प्रविष्ट करेगा क्योकि विभाग जालसाज़ी एवं गबन की संभावना बनी रहती है। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

**<u>भाग-2 'ब'</u>**

**<u>प्रस्तर:05-</u> निर्धारित मानदंड के अनुसार राजकीय छात्रावास तथा आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन नहीं पाया जाना।**

(क) कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार की लेखापरीक्षा में 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद हरिद्वार में अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु निःशुल्क आवसीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थित 48 स्वीकृत क्षमता वाले 'राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास' का संचालन का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में वर्तमान तक छात्रावास के संचालन के लिए विभाग का अपना नियमावली नहीं होने के कारण उत्तरप्रदेश शासन के नियमावली प्रभावी पाया गया। जांच में पाया गया कि छात्रावास के लिए विभाग द्वारा दिशानिर्देश के अनुरूप छात्रावास की मेस तथा सुरक्षा की सुचारु व्यवस्था अनुपलब्ध थे। छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 48 की जगह 34 की क्षमता वाले 17 कमरे उपलब्ध पाये गये। दिशानिर्देश के अनुसार छात्रावास के निरीक्षण के लिए सक्रिय समिति का अभाव पाया गया तथा इनसे संबन्धित रिपोर्ट की लेखापरीक्षा में अनुपलब्धता पायी गयी।

(ख) कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लालढंग का अपना नियमावली नहीं होने के कारण उत्तरप्रदेश शासन के नियमावली प्रभावी पाया गया जहां गृहमाता, नर्स/कम्पाउंडर, रसोइया तथा चौकीदार के लिए पृथक से पद सृजित पाया गया परंतु उपलब्ध अभिलेख से ज्ञात हुआ कि उक्त पदों के सापेक्ष तैनाती की व्यवस्था अनुपलब्ध थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि (क) अस्थायी तौर पर विभाग द्वारा पदों की स्वीकृति दी गयी है, विभाग की नियमावली अभी नहीं बनी है, छात्रावास का संचालन उत्तर प्रदेश नियमावली के तहत हो रहा है। (ख) आवश्यक सेवा की अनुपलब्धता के संबंध में समय-समय पर निदेशालय को अवगत कराया जाता है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया, मानदंड के अनुसार छात्रावास तथा आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन न करना, 48 की जगह 34 की क्षमता सृजित करना, छात्रावास के संचालन में दिशानिर्देश के अनुसार रसोइया, मेस, सुरक्षाकर्मी तथा समिति द्वारा छात्रावास के कुशल संचालन के लिए त्वरित निरीक्षण न करने के फलस्वरूप प्रयोजन प्रभावित पाया गया। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

**STAN**

**प्रस्तर:01- रु 1089.97 लाख की वितरित छात्रवृति में पात्रता की जांच नियमानुसार नहीं पाया जाना तथा नियोजन के अभाव में योजना की राशि समय सीमा के भीतर उपभोग नहीं किया जाना।**

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार की लेखापरीक्षा में छात्रवृति से संबन्धित पत्रावली में पाया गया कि शासनादेश सं xvii-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 01 जनवरी 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से पात्र छात्र-छात्राओं को अपना पंजीकरण भारत सरकार के पोर्टल पर करना आवश्यक होगा जिसके लिए तिथि का निर्धारण विभाग द्वारा तय किया जाना पाया गया। इस संबंध में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के आंकड़ों की जांच में देखा गया कि जनपद में भौतिक सत्यापन कि प्रक्रिया जनवरी तथा मार्च के दौरान किए जाने के फलस्वरूप सत्यापित प्रकरण लक्ष्य के अनुरूप नहीं पाये गये तथा वर्ष 2020-21 में सत्यापन कार्य शून्य पाये गये फलतः वर्षान्त अल्प अवधि होने के कारण सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होने के कारण योजना की राशि उक्त वर्ष अप्रयुक्त पायी गयी। वर्ष 2019-20 में सूचीबद्ध नामित जांच अधिकारियों के उपलब्ध भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में से नमूना जांच के रूप में प्रकरणों की जांच की गयी जिसमे रामानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट तथा स्वामी दर्शनानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलोजी पॉलिटैक्निक द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों में निर्देशानुसार निवास, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आधारकार्ड सम्बन्धी दस्तावेजों की अनुपलब्धता पायी गयी। लाभार्थियों से प्राप्त आय प्रमाणपत्र तथा पात्र लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत समर्थित प्रमाणपत्रों में अंकित नामों में विसंगतियाँ पायी गयी जिसका विवरण निमन्वत था:-

| Sl.No. | Application Id. | Details |
|---|---|---|
| 1 | UT20192000 | आय प्रमाणपत्र में नाम संबंधी अंकित विवरण का आवेदन पत्र मे अंकित विवरण से मैच नहीं। |
| 1 | " " 5195593 | तदेव |
| 2 | " " 5177477 | तदेव |
| 3 | " " 5024586 | तदेव |
| 4 | " " 9078591 | तदेव |
| 5 | " " 9940916 | तदेव |
| 6 | " " 100009620 | तदेव |
| 7 | " " 10128687 | तदेव |
| 8 | " " 10013176 | तदेव |
| 9 | " " 10128203 | तदेव |
| 10 | " " 10019952 | तदेव |
| 11 | " " 10226284 | तदेव |
| 12 | " " 10228130 | तदेव |
| 13 | " " 5202730 | तदेव |
| 14 | " " 5357132 | तदेव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | " " | 10160862 | तदेव |
| 16 | " " | 9287791 | आय प्रमाणपत्र नवीनीकरण के अभाव मे वैध नहीं। |
| 17 | " " | 6905395 | आय प्रमाणपत्र नवीनीकरण के अभाव मे वैध नहीं। |
| 18 | " " | 9296670 | आय प्रमाणपत्र नवीनीकरण के अभाव मे वैध नहीं। |
| 19 | " " | 7364600 | आय प्रमाणपत्र नवीनीकरण के अभाव मे वैध नहीं। |

उक्त विवरण से स्पष्ट था कि आय प्रमाणपत्र की वैध अवधि छात्रवृति आवेदन तिथि के समय अप्रभावी होने के बावजूद लाभ प्रदान की गयी तथा पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में विसंगतियाँ के बावजूद स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि छात्र/छात्राओं की संख्या काफी अधिक होने के कारण सभी छात्र/छात्राओं का आय/जाति एवं अन्य प्रमाणपत्रों का कार्यालय स्तर पर मैनुअल रखरखाव मानवसंसाधन की कमी के कारण संभव नहीं हो पाता है, भविष्य के लिए सैंपल के रूप मे छात्रों के आय/जाति आदि का रखरखाव किया जायेगा। शासनादेश मे आवेदन पत्र मे कमी होने पर छात्र/छात्राओं को एक मौका दिया जाने का प्राविधान है, भविष्य मे ऐसी शिथिलता में टिप्पणी सुनिश्चित करने हेतु जांच अधिकारी को निर्देश जारी किए जायेंगे। 2019-20 से भौतिक सत्यापन का कार्य गतिमान है। भौतिक सत्यापन पूर्ण होने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकृत के पश्चात माह मार्च,2021 तक धनराशि के व्यय होने की संभावना है। 2019-20 हेतु सॉफ्टवेयर शासनादेश से खोले नहीं जाने के कारण धनराशि वापस/समर्पित की गयी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, दिशानिर्देश के अनुसार छात्रवृति बजट आबंटन का उपभोग संबन्धित वर्ष में पूर्ण न होने पर धनराशि समर्पित हो जायेगी, भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन तिथि का निर्धारण विभाग की सहमति के पश्चात तय करने की प्रक्रिया है, फिर वर्ष के अंत में भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारम्भ कर लक्ष्य से पिछड़ना नियोजन की कमी पायी गयी। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली जांच में आय प्रमाणपत्र का बिना वैधीकरण के पात्रता का चयन नियमानुकूल न करना तथा दस्तावेजों में दर्ज विवरणों की विसंगतियाँ पाया जाना तथ्य की पुष्टि होती है कि सत्यापित जांच रिपोर्ट के आवश्यक दस्तावेजों से संबन्धित पत्रावलियों का कार्यालय स्तर से बिना परीक्षण किए धन का भुगतान करना पात्रता के चयन मे पारदर्शिता का अभाव पाया गया। अतः प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| **निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या** | **भाग-II 'अ'** | **भाग-II 'ब'** | **STAN** |
|---|---|---|---|
| 18/2010-11 | 1,2,3,4,5,6, | 1,2, | - |
| 27/2011-12 | 01 | 1,2 | - |
| 62/2012-13 | - | 1,2,3 | 01 |
| 25/2014-15 | - | 1,2 | 1,2 |
| 36/2016-17 | - | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | - |
| 88/2017-18 | - | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 01 |
| 109/2018-19 | - | 1,2,3 | - |
| 68/2019-20 | 01 | 1,2,3,4,5 | 01 |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| **निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या** | **प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण** | **अनुपालन आख्या** | **लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी** | **अभ्युक्ति** |
|---|---|---|---|---|
| 18/2010-11 | भाग-दो-अ-_1,2,3,4,5,एवं 06<br>भाग-दो-ब-<br>01 एवं 02 | कार्यालय द्वारा अध्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। | अध्यतन अनुपालन आख्या के अभाव मे प्रस्तर यथावत रहेगा | |
| 27/2011-12 | भाग-दो-अ- 01<br>भाग-दो-ब-<br>01 एवं 02 | तदैव | तदैव | |
| 62/2012-13 | भाग-दो-ब-<br>01,02 एवं 03<br>STAN - 01 | तदैव | तदैव | |
| 25/2014-15 | भाग-दो-ब-<br>01 एवं 02<br>STAN - 01 एवं 02 | तदैव | तदैव | |
| 36/2016-17 | भाग-दो-ब-<br>1,2,3,4,5,6,7,8, एवं 9 | तदैव | तदैव | |
| 88/2017-18 | भाग-दो-ब-<br>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 एवं 11<br>STAN - 01 | तदैव | तदैव | |
| 109/2018-19 | भाग-दो-ब-<br>1,2 एवं 3 | तदैव | तदैव | |
| 68/2019-20 | भाग-दो-अ-<br>1<br>भाग-दो-ब-<br>1,2,3,4 एवं 05<br>STAN- 01 | तदैव | तदैव | |

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

**------शून्य-------**

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

| **क्र. सं.** | **नाम** | **पद नाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 01 | श्री रंजीत सिंह वर्तवाल | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 8/19 – 5.9.19 |
| 02 | श्री विकेश कुमार यादव | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 9.9.19 - 30.9.19 |
| 03 | श्री अरविंद कुमार गौतम | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 30.9.19 - 24.12.19 |
| 04 | श्री नरेंद्र यादव | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 24.12.19 - 13.1.20 |
| 05 | श्री रंजीत सिंह वर्तवाल | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 13.1.20 - 12.2.20 |
| 06 | श्री नरेंद्र कुमार यादव | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 20.2.20 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए॰एम॰जी॰1), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**ए.एम.जी.1**